(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका काजल देवी पत्नी राहुल उर्फ दीपू निवासी बिसंडा थाना बिसंडा जनपद बांदा चित्रकूट ने अपने पति व ससुराली जनो के विरूद्ध के विरूद्ध मारपीट कर घर से निकाल देना, जान से मारने की धमकी एवं अतिरिक्त दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी व महिला आरक्षी अनामिका द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

2.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

3.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव व उनकी टीम द्वारा हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने तथा अपराध का झूठा आरोप लगाने के मामले में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1.तेजबहादुर पासी पुत्र रामबहोरी निवासी ग्राम पूरब पताई, थाना मऊ, जनपद चित्रकूट

2.रामबहोरी पुत्र लल्लू पासी निवासी ग्राम पूरब पताई, थाना मऊ, जनपद चित्रकूट

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.08.2025 को वादी रामबहोरी द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री को आयुष पुत्र रामनिरंजन बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 244/25 धारा 87/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 01.05.2026 को पीड़िता की बरामदगी की गई तथा उसके धारा 180 व 183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान अंकित किए गए। पीड़िता द्वारा दिए गए बयान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वह स्वयं आयुष कुमार के साथ प्रेम संबंध के कारण उसके पास गई थी, परंतु उसके परिजनों द्वारा उसे वापस लाकर बंधक बना लिया गया। बाद में उसे अन्यत्र भेजकर जबरन विवाह करा दिया गया।

इसी दौरान आयुष के पिता रामनिरंजन उर्फ वीरेन्द्र पासी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अपने पुत्र के दिनांक 30.07.2025 से लापता होने की सूचना दी गई तथा रामबहोरी एवं उसके पुत्रों पर संदेह व्यक्त किया गया।

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पीड़िता के बयान के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा आयुष कुमार की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया तथा घटना को छिपाने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया।

धाराओं में संशोधन (तरमीम) –

पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 244/25 धारा 87/351(3)/352 बीएनएस को साक्ष्यों के आधार पर संशोधित करते हुए धारा 103(1)/238/248/3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 04.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर तितौली गाँव के पास चंदई-दौलपुर मोड़ से समय लगभग 05:30 बजे अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.07.2025 की रात्रि लगभग 11:00 बजे आयुष कुमार उनके घर के पीछे महुआ के पेड़ के पास आया, जहां पूर्व नियोजित योजना के तहत अभियुक्तगण ने साइकिल की चेन से उसका गला दबाकर हत्या कर दी तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को यमुना नदी में फेंक दिया।

अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना स्थल एवं यमुना नदी के आसपास तलाशी ली गई, किन्तु शव/कंकाल बरामद नहीं हो सका।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ – श्री श्रीप्रकाश यादव

2.उ0नि0 अनूप कुमार शुक्ला

3.का0 राकेश कुमार

4.का0 प्रकाश

5.का0 (चालक) संदीप यादव